दैनिक भास्कर

बिलासपुर 16-09-2025

थानों में सीसीटीवी नहीं चल रहे, यह निगरानी में बड़ी चूक: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों के काम नहीं करने को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने इसे निगरानी की कमी बताया और कहा कि कैमरों की फीड देखने के लिए ऐसा कंट्रोल रूम होना चाहिए, जहां इंसानी दखल न हो। अगर कोई कैमरा बंद हो जाए तो तुरंत अलर्ट मिले। कोर्ट ने इस मामले में 26 सितंबर को आदेश देने की बात कही है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हर पुलिस स्टेशन का निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाए। इसके लिए आईआईटी को शामिल कर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिससे सभी सीसीटीवी फीड एक जगह पर एआई के जरिए खुद-ब-खुद मॉनिटर हों।